भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3676

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)

3676. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रनः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नशीले पदार्थों के सेवन को कम करने और नशीले पदार्थों की लत को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) क्या सरकार का विचार नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एनएपीडीडीआर के अंतर्गत केरल राज्य के लिए निधि जारी करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान एनएपीडीडीआर के कार्यान्वयन हेतु धनराशि जारी करने के केरल सरकार के अनुरोध की जांच की है, यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस परियोजना का विस्तार करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) का क्रियान्वयन कर रहा है, जो नशीले पदार्थों की मांग को कम करने और नशीले पदार्थों के सेवन को नियंत्रित करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। योजना के अंतर्गत की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): विभाग नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना को समयबद्ध तरीके से लागू कर रहा है। नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की मंजूरी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक अर्थात् दिनांक 31.03.2026 तक के लिए ले ली गई है।

(ग) और (घ): विभाग को धनराशि जारी करने के लिए केरल सरकार से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कार्य योजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत केरल सरकार को पहली किस्त के रूप में 99.76 लाख रुपये की राशि मंजूर की गई है।

(ङ): नशीली दवाओं की मांग में कमी की राष्ट्रीय कार्य योजना को लागू करने के लिए ईएफसी की मंजूरी वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक अर्थात् दिनांक 31.03.2026 तक की अवधि के लिए ले ली गई है।

अनुबंध

"नशीले पदार्थों की मांग में कमी लाने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर)" पर दिनांक 17.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3676 के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग देश में नशीली दवाओं की मांग को कम करने के लिए नोडल मंत्रालय है। नशीली दवाओं की लत की समस्या से निपटने के लिए यह विभाग नशीली दवाओं की मांग कम करने हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) कार्यान्वित कर रहा है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके तहत निम्नलिखित को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

i. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा निवारक शिक्षा और जागरूकता सृजन, क्षमता निर्माण, नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को।

ii. नशे का सेवन करने वालों के लिए एकीकृत पुनर्वास केन्द्रों (आईआरसीए) के संचालन और रखरखाव के लिए गैर-सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठन किशोरों में नशीली दवाओं के शीघ्र प्रयोग की रोकथाम के लिए समुदाय आधारित पीयर लेड इंटरवेंशन (सीपीएलआई), आउटरीच और ड्रॉप इन सेंटर (ओडीआईसी) और जिला नशामुक्ति केन्द्रों (डीडीएसी) को; और

iii. नशा मुक्ति उपचार सुविधाओं (एटीएफ) के लिए सरकारी अस्पतालों को।

2. एनएपीडीडीआर योजना के तहत नशीली दवाओं की मांग कम करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

i. वर्तमान में 347 आईआरसीए, 46 सीपीएलआई, 74 ओडीआईसी, एनजीओ के माध्यम से 71 डीडीएसी और सरकारी अस्पतालों में 117 एटीएफ को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। इन सभी सुविधाओं को जरूरतमंद लोगों की आसान पहुँच के लिए जियो-टैग किया गया है।

ii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन '14446' शुरू की गई है, ताकि इस हेल्पलाइन के माध्यम से मदद मांगने वाले व्यक्तियों को प्राथमिक परामर्श और तत्काल रेफरल सेवाएं प्रदान की जा सकें। हेल्पलाइन नंबर पर अब तक 4 लाख से अधिक कॉल प्राप्त हो चुकी हैं।

iii. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 15 अगस्त, 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) 272 चिन्हित सबसे संवेदनशील जिलों में शुरू किया गया

गया था और अब इसे देश भर के सभी जिलों में विस्तारित कर दिया गया है। नशा मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य आम जनता तक पहुंचना और उच्च शिक्षण विश्वविद्यालय परिसरों और स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूकता फैलाना है।

iv. अब तक, एनएमबीए के तहत जमीनी स्तर पर की गई विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से, 13.57+ करोड़ लोगों को नशीली दवाओं के सेवन के बारे में जागरूक किया गया है, जिनमें 4.42+ करोड़ युवा और 2.71+ करोड़ महिलाएं शामिल हैं। 3.85+ लाख शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी ने यह सुनिश्चित किया है कि अभियान का संदेश देश के बच्चों और युवाओं तक पहुंचे।

v. एनएमबीए को समर्थन देने और जन जागरूकता गतिविधियां संचालित करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग, ब्रह्माकुमारी, संत निरंकारी मिशन, इस्कॉन, श्री राम चंद्र मिशन और अखिल विश्व गायत्री परिवार जैसे आध्यात्मिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

vi. अभियान के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

vii. एनएमबीए वेबसाइट (http://nmba.dosje.gov.in) उपयोगकर्ता/व्यूअर (viewer) को अभियान, एक ऑनलाइन चर्चा मंच, एनएमबीए डैशबोर्ड, ई-शपथ के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करती है।

viii. 12 अगस्त, 2024 को एनएमबीए पर एक सामूहिक शपथ ली गई और 2+ लाख संस्थानों के लगभग 3+ करोड़ लोगों ने राष्ट्रव्यापी शपथ में भाग लिया।

****